Review Of Research
Vol. 4 | Issue. 6 | March. 2015
Impact Factor : 3.1402 (UIF)
ISSN:-2249-894X
Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

महिला सशक्तिकरण हेतु महिला एवं बालविकास मंत्रालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन

रंजना कुमारी मिश्रा
शोध छात्रा, गृहविज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

सारांश :

महिलाएँ सृष्टि का अभूतपूर्व तोहफा एवं बहुमूल्य संसाधन है। महिला के बिना सृष्टि की कल्पना भी नगण्य है। महिला न हो तो सृष्टि का निर्माण सम्भव नही है इसलिए नारी को सशक्त व जागरूक बनाकर ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश सशक्त बन सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण है कि जहाँ–जहाँ भी स्त्रियों ने संघर्ष व सहकारी प्रयत्न से अपने आप को सबल बनाया है, वहाँ समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

भूमिका :

महिलाओं मे सशक्तिकरण का तात्पर्य है शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में उन्हें भागीदार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, स्वालम्बन का अधिकार, आदि मुद्दों को समाहित किया गया है। आज के इस परिवेश में इस बात पर अधिक बल देना है कि महिलाओं में उनकी स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे केवल महिलाओं का कल्याण नही बल्कि वे पूरे समाज के विकास की प्रवर्तक बन सके। महिलाएँ जब तक अपनी शक्ति, क्षमता, ज्ञान, आत्मविश्वास को जागृत नही करेंगी तब तक कोई बाहरी कारक उन्हें सशक्त नही कर सकता है। इस क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने उन्हें जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाये इनके माध्यम से महिलाएँ आन्तरिक व बाह्य रूप से सशक्त बन सके। इसलिए एक वाक्य हमेशा कहा जाता है कि ''यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता''– अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता बसते है। पूजा का अर्थ सम्मान से है, तात्पर्य यह है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं सुख एवं समृद्धि का वास होता है नारी को सम्मान देना हमारी संस्कृति एवं सभ्यता की प्राचीन परम्परा रही है, सृष्टि के निर्माण से ही नारी सम्मानीय समझी जाती रही है हमारे धर्म ग्रन्थ में नारी को देवी कहा गया है।

सन् 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ताकि महिलाएँ सशक्त बनकर सशक्त समाज एवं राष्ट्र की स्थापना कर सके और अपने घर परिवार की समृद्धि में पुरूष के

कदम से कदम मिलाकर चल सके। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलाएँ अपने आपको एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तिकरण बाहर से थोपा नही जा सकता, वह तो स्वयं में उत्पन्न होना आवश्यक है तभी महिला का विकास सार्थक रूप से संभव है और इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस क्षेत्र में निरन्तर प्रयास किया है।

महिला की प्रगति पूरे घर–परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति मानी जाती हैं और महिलाओं के प्रति होते कई अत्याचारों, शोषण की समाप्ति एवं दुर्भावना की समाप्ति को लेकर महिला सशक्तिकरण की रूपरेखा सामने रखी गयी है। आर्थिक उदारीकरण से भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति व बेरोजगारी कम हुई है और इसके लिए महिला सशक्तिकरण एक व्यापक उपाय के रूप में सामने आया, ताकि महिलाएँ ''अबला से सबला'' बन सकें।

वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण घोषित करने के साथ ही महिला शक्ति को बढ़ाने की दिशा में अनेक योजनाएँ एवं पुरस्कार आदि घोषित किये जा चुके है। ताकि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए और वे अपना जीवन स्तर उँचा उठा सके। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार सम्पन्न व उन्हें उस पर हो रहे शोषण के खिलाफ जागरूक कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शासन ने एक ऐसे विभाग का गठन किया जिसके माध्यम से महिलाओं का उत्थान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आत्मरक्षा, पोषण स्वास्थ्य, आजीविका, जागरूकता, आधार भूत आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के लिए कार्यक्रमो को महिला एवं बाल विकास विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं से लाभान्वित कर रहा है जो महिलाओं को सशक्त बनाने में सार्थक सिद्ध है। भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से जारी है। जिससे अनेक बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, रोजगार, कन्यादान, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक आत्मनिर्भर किया जा सके। इस कार्यक्रमों से महिलाओं की योग्यता व शक्ति को और सशक्त बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

महिला सशक्तिकरण के वर्तमान स्वरूप में जब तक बालिकाओं के भविष्य का फैसला पुरूष वर्ग करते रहेंगे या स्त्री पुरूषों में असमानता पायी जाएगी। तब तक महिला सही अर्थो में सशक्त नही हो सकती। सत्तर का दशक महिलाओं के लिए संघर्ष का था, अस्सी का दशक महिला के लिए अवरोध का समय था एवं इसमें प्रतिष्ठा हासिल करने से वंचित रही, नब्बे का दशक महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति का समय था। समाज में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बाजार, राजनीति और अर्थव्यवस्था में धीरे–धीरे यह मान्यता स्थापित होने लगी महिलाओं की उपस्थिति को अनदेखा नही किया जा सकता। और इक्कीसवी सदी की शुरूआत में महिला आन्दोलन खुद को एक नये मोड़ पर खड़ा देख रहा है। इसका क्षेत्र हम आज महिला बाल विकास विभाग को दे सकते है क्योंकि इसके माध्यम से वैश्वीकरण व उदारीकरण ने स्त्री पुरूष संबंधों के समीकरण पर विशेष रूप से प्रभाव डाला है अब महिलाएँ अपनी स्थिति, समस्या और अधिकार को लेकर समाज में अधिक मुखातिर हुई है।

समाज में आज भी कई जगहों पर अनगिनत कुरीतियां फैली हुई है। इन कुरीतियों में बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, मृत्युभोज, विवाह पर अत्यधिक व्यय, नशाखोरी, पुत्र को प्राथमिकता, भ्रूण हत्या, प्रताड़ना आदि है। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी महिला व बाल विकास विभाग ने महत्वपूर्ण योजनाएँ कार्यक्रम व कई अधिनियम बनाये जिसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक व सशक्त बनाया जा रहा है। महिलाओं की योग्यता व शक्ति को और सशक्त बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

आज विश्व के हर देश में सभी जगह महिलाओं के समुचित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। इसी आधार पर 21वीं सदी को महिलाओं की सदी कहकर विभूषित करने लगे है। अब महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता, आत्मविश्वास और साहस के साथ पुरूष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व का

एहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही हैं इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आज कुछ प्रयास हर जगह और हर स्तर पर किये जा रहे है। इसमें कोई दो मत नही है कि स्वतंत्रता के बाद नारी की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए है तथा उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए जहाँ संविधान में व्यवस्थ की गई है, वही समय–समय पर नियम और कानून भी बनाए गए है, तथा महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी कई प्रयास किये गये है जिससे उनका भविष्य व भारतीय नारी का सर गौरव से उँचा उठे।

वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। उन्हे सभी प्रकार के आवश्यक व मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए जा रहे है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का अन्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत सरकारी नौकरी में समान दर्जा, इसी प्रकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध किया गया है। इसी प्रकार संविधान के कई अनुच्छेद में महिलाओं के अधिकारों को समाहित किया गया है जिससे वे सशक्त हो सके।

नारी अधिकारों के लिए वैधानिक प्रयासों की श्रृंखला में भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति (2000) एक उल्लेखनीय कदम है। भारत सरकार ने महिलाओं की समस्याओं के उचित निराकरण के लिए एक दस वर्षीय योजना प्रस्तुत की है जिसमें नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था में स्थिति का आकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आवास, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति, बालिका प्रस्थिति, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया है। इस दिशा में महिला बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई है।

शहरों के साथ ही गांवों में भी महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न रोकने के लिए महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना होगा, उन्हे संगठित होकर अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देनी होगी।महिलाओं को यह समझना भी आवश्यक है कि वे अपने बीच खाई को समाप्त करें। एक महिला दूसरी महिला को उत्पीड़न करने के बजाय उसे स्नेह दे तभी स्त्री सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता प्राप्त होगी। महिलाओं को संगठित करने में महिला बाल विकास कई योजनाएँ संचालित कर रहा है।

वर्तमान में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। बलात्कार, छेड़छाड, दहेज, प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनाये आज भी घटित हो रही है। प्राचीन युग से वर्तमान युग में उत्पीड़न की मात्रा बढ़ती जा रही है लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नही हुआ। यह घोर विडम्बना ही है कि इक्कीसवी सदी के लोकतंत्र में नाबालिग या बालिग अकेली महिला की अस्मत सुरक्षित नही है। इस ओर सरकार व समाज को कारगर कदम उठाने चाहिए। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने उचित योजनाएँ बनायी है जिससे उन्हें उत्पीड़न हिंसा जैसी बुराईयों से निकाला जा सके।

महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सबल बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है। कल तक घर में कैद रहने वाली महिलाएँ आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रही है। स्वयं सहायता समूहों का गठन कर शहर से लेकर गाँव तक अपनी साख कायम करने में जुटी हुई है। इसके माध्यम से महिलाएँ व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे आ रही है। समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक दोनो तरह से विकास हो रहा है।

निष्कर्ष :

किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। महिलाएँ समाज की अभिन्न अंग है। अतः महिलाओं का विकास करके ही सार्वभौमिक विकास की कल्पना को साकार करना संभव है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए

कहा है कि– ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा, महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा।'' वर्तमान युग में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं और कौशल का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जाए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण व विकास में उत्तरोत्तर सुधार दर्ज किया जाए, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता बढ़े। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं का समाज में अमूल्य स्थान होगा। जिससे भारत में कानून व्यवस्था सहित महिलाओं का पूर्ण विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किया जाना चाहिए। इस कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग की अहम भूमिका रही है। विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक बनाकर उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए तथा एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छी शिक्षा होनी चाहिए इसलिए विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र से सम्बंधित कार्यक्रमों का संचालन किया है जिससे उनके शिक्षा का स्तर बढ़े व समाज में उन्हें सम्मान मिल सके।

संदर्भ :

1. नटानी प्रकाश नारायण (2010) : महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन जयपुर
2. स्वामी (डॉ.) भगवती व किशोर (डॉ.) सविता (2008) : महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे?
3. मिश्रा (डॉ.) आर के (2011) : राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, भोपाल मध्यप्रदेश
4. पंत कविता (मार्च 2013) : महिलाओं और बच्चों के कल्याण की घोषणाएँ, योजना पत्रिका मार्च 2013, योजना भवन नई दिल्ली
5. श्रीवास्तव (डॉ.) मीनाक्षी (2012) : कामकाजी महिलाएं वास्तविक स्थिति, हरि प्रकाशन दिल्ली
6. लता (डॉ.) मंजु (2009) : अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिकेशिंग हाउस दिल्ली
7. यादव चन्द्रभान (2013) : महिलाओं की सबलता का सशक्त माध्यम स्वयंसहायता समूह, कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2013